FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 13/03/2025 15:49 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	IPC 1860	419
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Thursday **Date from (दिनांक से):** 12/08/2021 **Date To (दिनांक तक):** 12/08/2021

Time Period (समय अवधि): Pahar 1 **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/03/2025 **Time (समय):** 15:25 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 022 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/03/2025 15:33 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 65 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला रेवाडी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** ved parkash

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 02/04/1968 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**gurgaon, DLF PHASE-1, GURUGRAM, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**gurgaon, DLF PHASE-1, GURUGRAM, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9195822006

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सैल्समैन शुशील कुमार		Father's Name: लक्ष्मीचन्द	1. म0न0 523,नवदीप कालोनी गग्वा रोड हिसार,HISAR,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम । विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच कमांक 01 दिनांक 21.06.2024 रेवाडी, CWP No. 5898 of 2022 Jasbir ram V/s State of Haryana मे माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ़ दिनाँक 09.05.2024 के आदेश अनुसार कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्र०नि०ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 12174/1-2/ACB (H) dated 24.06.2024 के अनुसार दर्ज होकर पडताल हेतू इस मण्डल मे प्राप्त हुई है। और मन निरीक्षक को दिनांक 30.06.2024 को पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जांच मे आरोप वर्णित है कि जांच CWP No. 5898 of 2022 Jasbir ram V/s State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ़ के आदेश दिनाँक 09. 05.2024 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा गेहूँ के बीज पर सब्सिडी दी गई थी उस सब्सिडी वितरण के दौरान सम्बन्धित अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा सरकारी रिकार्ड मे जालसाजी करके सब्सिडी का दुरुप्योग करने की जाँच करने बारे थे।

वर्ष 2020-21 रबी की फसल के दौरान प्रति क्विटल गेहूँ बीज की कुल राशि 3350 रूप्ये मानी गई थी। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा किसानो को वर्ष 2020-21 में प्रति क्विटल 1000 रूप्ये सब्सिडी देकर, किसानो को कुल 2350 रूप्ये प्रति क्विटल बेचा गया था। जिसमें हरियाणा बीज विकास निगम को सब्सिडी दर हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। जिला रेवाडी में हरियाणा बीज विकास निगम ने बीज ब्रिक्री केन्द्र कोसली था। ब्रिक्री केन्द्र कोसली में सुशील कुमार सैल्स मैन तैनात थे। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड पटौदी के रिकार्ड अनुसार ब्रिक्री केन्द्र कोसली में रबी की फसल के दौरान गेहूँ बीज किस्म ब्रिक्री का विवरण गेहूँ बीज किस्म (Variety) HD-2967 के 800 क्विटल, WH-1105 के 120 क्विटल, WH-1124 के 60 क्विटल, HD- 3086 के 1756.40 क्विटल, PBW- 725 के 130 क्विटल, HD-3059 के 28.40 क्विटल व PBW-723 के 306 क्विटल कुल 3200.80 किवंटल है।

जिला रेवाडी के ब्रिक्री केन्द्र कोसली में 3200.80 क्विटल गेहूँ बीज बिकी किया गया तथा बिकी किये गये गेहूँ बीज की कुल सब्सिडी 32,00,800 रू० बनती है। जो उपरोक्त राशि ट्रैजरी के माध्यम से बिल न० 49 दिनॉक 28.07.2021 से हरियाणा बीज विकास निगम पटौदी के खाता स० 3347008700000691 पंजाब नैशनल बैंक हेली मण्डी गुरूग्राम में दिनाँक 12.08.2021 को भेजी गई। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड पटौदी के आदेश अनुसार वर्ष 2020-21 रबी की फसल के दौरान ब्रिक्री केन्द्र कोसली में हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड पटौदी के माध्यम से कुल 3296 क्विंटल (8240 बैग) गेहूँ बीज प्राप्त हुआ था जो किसानो को कुल 3200.80 क्विटल (8002 बैग) ब्रिक्री किये गये। बाकि 95.20 क्विटल (238 बैग) गेहूँ बीज पटौदी ब्रिकी केन्द्र को ट्रान्सफर किया गया।

वर्ष 2020-21 में रबी की फसल RKVY (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत जिला रेवाडी के कोसली में गेहूँ बीज वितरित किया गया था। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा जिला रेवाडी के ब्रिक्री केन्द्र कोसली में कुल 1019 किसानो को गेहूँ बीज वितरण किया गया। कुल 1019 किसानो मे से रेन्डमली 211 किसानो को शामिल जॉच करके कथन अकिंत किये गये है। जिनमे से 183 किसानो के कथनो में अकिंत कराया कि कोसली बीज ब्रिकी केन्द्रो से वर्ष 2020-21 में गेहूँ बीज खरीदना पाया गया। जो ब्रिकी केन्द्रो के सैल्समैनो ने उनके आधार नम्बर लेकर किसान सूची पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये थे। तथा गेहूँ बीज की रशीद काटकर दी थी।

इसके अतिरिक्त 23 किसानो ने अपने कथनो में अकिंत कराया कि कोसली बीज ब्रिकी केन्द्रो से वर्ष 2020-21 में गेहूँ बीज खरीदना पाया गया। जो ब्रिकी केन्द्रो के सैल्स मैनो ने उनके आधार नम्बर लेकर किसान सूची पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये थे। तथा गेहूँ बीज की रशीद काटकर दी थी। किसानो के पास अब रशीद
[3:25 PM, 3/13/2025] anandanandj840: नहीं पाई गई है। परन्तु उनके द्वारा बीज ब्रिकी केन्द्र कोसली के रिकार्ड में गेहूँ बीज बैग दर्शाये हुए है उतने बैग गेहूँ बीज उनके द्वारा नहीं खरीदना पाया गया है। बीज ब्रिकी केन्द्र कोसली के रिकार्ड में करीब 10/15/20 बैग दर्शाये हुए है। इनके अलावा 06 किसानो ने अपने कथन में अकिंत करवाया कि उन्होने बीज ब्रिकी केन्द्र कोसली बीज ब्रिकी केन्द्र से वर्ष 2020-21 में गेहूँ बीज खरीद ही नहीं किया गया है। उन्हें नहीं पता कि उपरोक्त ब्रिकी केन्द्रों के सैल्समैनो ने उनके आधार नम्बर व मोबाईल नम्बर कहा से लिये है। और किसान सूची में जो हस्ताक्षर है। वो भी उनके हस्ताक्षर नहीं है। उक्त किसानो द्वारा बीज ब्रिकी केन्द्र कोसली से गेहूँ बीज नहीं खरीदा गया और ना ही उन्होंने अपना आधार कार्ड किसी साथी व रिश्तेदार को दिया गया था।

वर्ष 2020-21 में बीज ब्रिक्री केन्द्र कोसली के 29 किसान ऐसे पाये गये है। जिन्होंने 1 या 2 बैग गेहूँ बीज का खरीदा

था परन्तु किसान सूची व रशीद में 10/15/20 बैग दर्शाये हुए है। और उक्त 29 किसानों में से 6 किसानो ने अपने कथन में अकिंत करवाया है कि किसान सूची में उनके हस्ताक्षर नहीं है। जिन्होने वर्ष 2020-21 मे ब्रिकी केन्द्र कोसली से गेहूँ बीज नहीं खरीदा है। जबकि हरियाणा बीज विकास केन्द्र कोसली के किसान सूची व रशीद के रिकार्ड में 10/15/20 बैग गेहूँ बीज दर्शाया हुआ है। किसानो के आधार नम्बर व मोबाईल फोन नम्बर भी दर्शाये हुए है। जबकि किसानो के हस्ताक्षर भी उनके नहीं है। बीज ब्रिकी केन्द्र कोसली के सैल्समैन सुशील कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासी म०न० 523 नवदीप कॉलोनी गग्वा रोड हिसार ने हरियाणा बीज विकास ब्रिकी केन्द्रो में वर्ष 2020-21 के में गेहूँ बीज वितरण के समय किसान सूची व रशीद के रिकार्ड में किसानो के आधार कार्ड नम्बर धोखाधडी से एन्टरी करके उनके नाम पर 10/15 बैग गेहूँ बीज गलत इन्द्राज करके व किसानो के फर्जी हस्ताक्षर करके अपराध किया है। जिसके खिलाफ तत्कालीन प्रचलित कानून धारा 409, 419, 420, 467 471 भा०द०स० व 13(1)(A) r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग अकिंत किये जाने का सुझाव दिया गया था। जांच की पडताल पूर्ण होने उपरान्त इस कार्यालय पत्र क्रमांक न0 5067/ACB/GGM Dt. 25.11.2024 के अनुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्र०नि०ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय में भेजी गई थी। जिस पर श्रीमान मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सतर्कता विभाग चण्डीगढ़ के आदेश क्रमांक न० 66/46/2024-6VII Dt. 04.03.2025 व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्र०नि०ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के क्रमांक न० 3677/1-1/ACB (H) dated 05.03.2025 के अनुसार बीज ब्रिकी केन्द्र कोसली के सैल्स मेन सुशील कुमार उपरोक्त के खिलाफ तत्कालीन प्रचलित कानून धारा 409, 419, 420, 467 471 भा०द०स० व 13(1) (A) r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने हेतू तहरीर तैयार करने के आदेश प्राप्त होने पर मन निरीक्षक द्वारा उपरोक्त तहरीर प्रारूप तैयार करके अनुमोदन के लिये कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों गुरुग्राम के पत्र क्रमांक 1184/ACB/GGM dated 10.03.2025 अनुसार भेजी गई थी। जिसके उपरांत श्रीमान, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों पंचकुला हरियाणा कार्यालय के पत्र क्रमांक 4392/1-1/ACB (H) Dated 12.03.2025 Panchkula के अनुसार उक्त अभियोग अंकित करने बारे अनुमोदित होने उपरांत प्राप्त हुई। आज मै कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यरों गुरुग्राम में उपस्थित हूँ। जो पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों गुरुग्राम से मन निरीक्षक के नाम तहरीर देने बारे मार्क हुई है। जिस पर तहरीर तैयार करके सुशील कुमार सैलस मैन उपरोक्त के खिलाफ तत्कालीन प्रचलित कानून धारा 409, 419, 420, 467 471 भा०द०स० व 13(1) (A) r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने के लिये बदस्त ASI राजीव कुमार नं0 2771 गुरुग्राम के हवाले करके थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों गुरुग्राम में भेजी जा रही है। यदि अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिपत्ता पाई जाती है तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिया जायेगा। अभियोग अंकित करके अभियोग नम्बर से सूचित किया जावे तथा अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जाये । sd Ved Parkash Insp.निरीक्षक वेदप्रकाश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र रेवाडी। दिनाँक 13.03.2025 at – 3.20 PM अज थाना – आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को FIR की प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से व आने वाले ASI राजीव कुमार न0 2771/गुरुग्राम के माध्यम से मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही :** चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ved parkash **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1641 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद *7* संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1981				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)